FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0131 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/05/2025 19:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/05/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 20:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:50 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/05/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/05/2025 19:55:46 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 180 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** KARYALYA PANCHAYAT SAMITI PAHARI KE PASS, TEHASIL PAHARI JILA DEEG
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** FARIYAD
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** JASMAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1968 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM SOMAKA, PAHARI, PAHARI, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM SOMAKA, PAHARI, PAHARI, डीग, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRAVEEN KUMAR		पिता:JAGDISH PRASAD	1. KISHORPURA,POLICE THANA HARSORA,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर, विषयः-रिश्वत राषि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बावत, महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे पुत्र मुस्तफा व मेरे भतीजे आमिर पुत्र अयुब की जमीन खसरा 1635, 4 बिघा 8 बिस्वा की पैमाइस हेतु हमने श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी को आवेदन किया था जिस पर तहसीलदार साहब ने हल्का पटवारी प्रवीण को पैमाइस हेतु आदेश कर दिये थे। पैमाइस के आदेश हमने दस्ती लेकर पटवारी प्रवीण को करीब 7-8 दिन पहले दे दिये थे, जिस पर पटवारी प्रवीण ने पैमाइस करने की एवज में मेरे से व मेरे भतीजे आमीर से 40,000/-- रूपये रिश्वत राशि मांगी थी, मै प्रवीण कुमार पटवारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी प्रवीण पटवारी से कोई रंजिश नही है और मेरा उससे रूपयो का कोई लेन-देन बकाया नही है। प्रार्थी एसडी फरियाद पुत्र श्री जसमल जाति मुसलमान उम्र 57 साल निवासी सोमका तहसील पहाडी जिला डीग मो. [redacted] दिनांक 26.05.2025 एसडी सह परिवादी आमीर दिनांक 26.05.2025 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 27.05.2025 एसडी जीतेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, दिनांक 27.05.2025 एसडी श्री ज्ञान सिह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, दिनांक 27.05.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 22.05.2025 समय 08.30 पी.एम पर परिवादी श्री आमीर पुत्र श्री फरियाद जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी सोमका पुलिस थाना पहाडी जिला डीग से मन् उप अधीक्षक पुलिस को उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से वार्ता हुई तो उसने बताया कि मै आमीर पुत्र श्री फरियाद जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी सोमका पुलिस थाना पहाडी जिला डीग का रहने वाला हूं। मेरी व मेरे चाचा ताऊ के लड़को की जमीन हमारे गॉव में है मैने खसरा नम्बर 1635 की पैमाइस हेतु तहसीलदार साहब पहाडी को प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब ने पैमाइस के आदेश हल्का पटवारी प्रवीण के नाम कर मुझे प्रार्थना-पत्र वापस दे दिया था मै व मेरा ताऊ फरियाद खॉ तहसीलदार साहब के आदेश शुदा प्रार्थना-पत्र को पटवारी हल्का प्रवीण के पास लेकर गये तो उसने पैमाइस करने की एवज में हमसे 70,000/- रूपये की रिश्वत मांग रहा है, पटवारी हमसे 5-6 दिन पूर्व 50,000/- रूपये रिश्वत ले चुका है, हम रिश्वत नहीं देना चाहते है एवं पटवारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। अतः हमने पटवारी की शिकायत एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कर दी थी, हमारी शिकायत करने के कुछ समय बाद आपका फोन मेरे फोन पर आया था, जिस पर मैने पूरे हालात आपको बताये थ, परिवादी से हुई वार्ता से प्रथम दृष्ट्या मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है, जिसका रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जावेगा। बाद सत्यापन जैसी सूरत होगी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी प्रवीण सोमवार दिनांक 26.05.2025 को कार्यालय आयेगा, उस दिन रिश्वत मांग सत्यापन हो सकेगा, परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई दिनांक 26.05.2025 को गोपनीय सत्यापन रिश्वत मांग का विभागीय प्रक्रियानुसार कराया गया। इसके बाद दिनांक 24.05.25/01.00 पी.एम पर परिवादी श्री आमीर से हुई मोबाईल वार्ता अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाने हेतु विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का लगा हुये को श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि वह परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को अपने पास सुरक्षित रखे व वापसी पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश करे। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर बाद संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुचारू रूप से सही कार्य कर रहा है, इसमें पूर्व से कोई वार्ता रिकॉर्ड नही है। इसके बाद दिनांक 27.05.25/09.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्रीकान्त हैड कानि. 72 व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री मनोज कुमार कानि. 179, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान श्री ज्ञान सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री जीतेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स विडियो कैमरा, लैपटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस इत्यादि के सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आये जिन्हे बाद हिदायत कमरे में बिठाया गया। इसके बाद समय 09.50 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्किट हाउस में उपस्थित हैं जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो क्रमशः अपने नाम श्री जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री ननिकीराम जाति कोली उम्र 30 साल निवासी ग्राम बहरावली पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर। मो.नं.- [redacted]

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री तेज सिंह जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम तिघरिया पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन जिला करौली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर। मो.नं [redacted] जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बावत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी, तत्पश्चात् दोनों का गवाहान का उपस्थित परिवादी फरियाद, सहपरिवादी श्री मुस्तफा व श्री आमीर से आपस में एक-दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादी श्री आमीर द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 26.05.25 दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी व सहपरिवादियो से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर दिनांक संहित अंकित करवाये गये। इसके बाद समय 10.00 ए.एम पर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 ने पूर्व से सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय परिवादी श्री फरियाद, सहपरिवादी आमीर व मुस्तफा के मय हस्तलिखित रिपोर्ट के मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया व अवगत कराया कि दिनांक 24.05.2025 को आपसे विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखकर भरतपुर उपस्थित रहा दिनांक 26.05.2025 परिवादी श्री आमीर के मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराये जाने हेतु भरतपुर से रवाना होकर पहाड़ी पहुंचा जहां परिवादी श्री आमीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर सम्पर्क कर किया तो उसने बताया कि हमारी जमीन की पैमाइस करने की एवज में हल्का पटवारी प्रवीण द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, पटवारी प्रवीण मेरे ताऊ श्री फरियाद से रिश्वत मांग की वार्ता करेगा मेरे ताऊ फरियाद मेरे साथ मौजूद है, जमीन में मेरे ताऊ के लड़को का भी नाम है जिसकी पैमाइस कराई जानी है, इस पर मेरे द्वारा आमीर के ताऊ श्री फरियाद से एक लिखित प्रार्थना-पत्र मय आधार कार्ड प्राप्त किया व विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर फरियाद को सुपुर्द किया मै अपनी पहचान छुपाते हुये रिश्वत मांग सत्यापन के स्थान के आस-पास मौजूद रहा श्री फरियाद पटवार घर में जाकर कुछ समय पश्चात वापस आया जिससे मैने विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर, बन्द कर अपने पास रखा वापसी पर श्री फरियाद ने बताया कि मेरी वार्ता पटवारी श्री प्रवीण से हो गई है उसने मुझसे पैमाइस करने की एवज में 40,000/- रूपये की रिश्वत मांगी है, मेरे द्वारा निवेदन करने पर 35,000/- रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया है मेरे द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर पर सुना तो फरियाद द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया गया इस पर रात्रि व्यक्त होने के कारण साधन नही होने के कारण मैं डीग में मुकीम रहा है। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व प्रार्थना-पत्र को मेरे द्वारा सुरक्षित मेरे पास रखा। परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादी श्री आमीर को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर दिनांक 27.05.2025 को प्रातः सर्किट हाउस भरतपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया था आज दिनांक 27.05.2025 को परिवादी श्री फरियाद सहपरिवादी श्री आमीर व परिवादी का पुत्र मुस्तफा सर्किट हाउस भरतपुर में है डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड व परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना-पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है। श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र व विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्राप्त कर अपने कब्जे में लिया व परिवादी श्री फरियाद से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरे भतीजे श्री आमीर द्वारा हमारी सामलाती जमीन जो कि हमारे गॉव सोमका मे है के खसरा नम्बर 1635 की पैमाइस हेतु एक प्रार्थना-पत्र 08.10 दिन पूर्व तहसीलदार साहब पहाडी को पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब ने पैमाइस के आदेश कर हमें वापस दे दिया था, मै व मेरा भतीजा आमीर तहसीलदार साहब द्वारा किये आदेश को लेकर हमारे हल्का के पटवारी श्री प्रवीण के पास गये तो उसने पैमाइस करने की एवज में हमसे रिश्वत की मांग की हम प्रार्थना-पत्र पटवारी को देकर वापस आ गये व 5-6 दिन पूर्व पटवारी से पुनः मिले तो उसने हमसे 50,000/- रूपये रिष्वत ले ली व 70,000/- रूपये और देने के लिए कहा इस पर मैने मेरे भतीजे आमीर से पटवारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने के लिए कहा जिस पर मेरे भतीजे ने आपके विभाग के नम्बर 1064 पर शिकायत दिनांक 22.05.2025 की शाम को कर दी शिकायत करने के पश्चात् आपका फोन आमीर के मोबाईल नम्बर पर आया था, आमीर ने आपसे हुई पूरी बाते मुझसे बताई थी। दिनांक 26.05.2025 को आपके कानि. श्री ब्रह्मदेव से आमीर की मोबाईल पर बातचीत हुई थी जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु श्री ब्रह्मदेव कानि.449 पहाडी आया था, जहां पर मै व मेरा भतीजा आमीर मिले थे, मैने ब्रह्मदेव जी को एक मेरा हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र कार्यवाही हेतु मय मेरे आधार कार्ड की छायाप्रति के पेश किया था। इसके पश्चात् ब्रह्मदेव कानि. ने एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाते हुये, चालू कर मुझे सुपुर्द किया था, जिसको लेकर मैने छुपाते हुये अपने पास रखकर रिश्वत मांग की वार्ता करने पटवारी श्री प्रवीण के पास गया था, जहां मेरी पटवारी जी से बात हुई तो उन्होने 40,000/- रूपये रिष्वत की मांग की थी, मैने 30,000/- रूपये देने के लिए कहा तो पटवारी जी 35,000/- रूपये लेने पर सहमत हो गये, रिश्वत मांग वार्ता हो जाने के पश्चात् मै वहां से रवाना होकर श्री ब्रह्मदेव कानि. के पास आ गया व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया उन्होने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। मैने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो पटवारी से हुई थी उसके बारे में श्री ब्रह्मदेव कानि. को बता दिया था। उन्होने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित स्थान पर सरसरी तौर पर चालू कर सुना था, तो उसमें रिश्वत मांग की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई थी। इसके बाद श्री ब्रह्मदेव जी ने हमें आज दिनांक 27.05.2025 को सर्किट हाउस भरतपुर में आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया था। श्री ब्रह्मदेव जी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने के पश्चात् पहाडी से रवाना हो गये थे, और हम भी हमारे

गॉव चले गये थे। आज दिनांक 27.05.2025 को गॉव से रवाना होकर सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आ गये है। रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिखित होना व स्वंय व आमीर के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट व पूछताछ व रिकार्ड रिश्वत मांग वार्ता से आरोपी हल्का पटवारी प्रवीण द्वारा परिवादी फरियाद व सहपरिवादी आमीर व मुस्तफा के जायज काम के खेत पैमाइस करने की एवज में रिश्वत की मांग करना पाया गया है। इसके बाद समय 11.00 ए.एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री फरियाद सहपरिवादी श्री आमीर व श्री मुस्तफा व स्वंतत्र गवाहान श्री ज्ञान सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर व श्री जीतेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु एवं दो डीवीडीयां क्रमशः- मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी को अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुद्धा मैमोरी कार्ड को मार्क M व सील्ड शुद्धा डी.वी.डी. पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री प्रवीण पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग द्वारा परिवादी व सहपरिवादियो की जमीन की पैमाइस करने की एवज मे रिश्वत राशि 40,000/- रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 35,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 12.30 पी.एम आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को 35,000/- रूपये रिश्वत मांग सत्यापन से स्पष्ट है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री फरियाद से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 35,000/- रूपये के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम है जो अभी मेरे पास उपलब्ध है, परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 12.40 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री फरियाद पुत्र श्री जममल जाति मुसलमान उम्र 57 साल निवासी सोमका पुलिस थाना पहाडी जिला डीग से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 60 (साठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल रकम मूल्य 30,000/- ((तीस हजार) रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:- 01.एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 BW 088646 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 FS 909031, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 UB 433973, 04 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 KK 901179, 05. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 BT 267572, 06. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 GT 334959, 07. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 AN 927900, 08. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 AG 233470, 09. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 BK 814472, 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 KG 968305, 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 NV 721712, 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 HT 878432, 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 PW 421437, 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 BC 618057, 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 VU 020816, 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 VN 260831, 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 DL 533022, 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 LA 647628, 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 EC 312086, 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 HH 899854, 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 BR 367914, 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 WB 155872, 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6SH 970096, 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 VB 627424, 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 QH 177434, 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 AF 744619, 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 UB 158161, 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 EN 471865, 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 EN 998739, 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 RP 154598, 31. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 SD 118863, 32. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 AP 224667, 33. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 AU 035532, 34. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 FQ 220801, 35. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 WN 137977, 36. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 VV 707573, 37. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 UA 438673, 38. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 ES 565147, 39. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 RC 551015, 40. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 VB 588826, 41. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 WB 120906, 42. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 CS 338225, 43. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 BK 474858, 44. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 CU 466064, 45. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 NF 285749, 46. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 FP 585437, 47. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 LD 483507, 48. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 AC 358892, 49. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 RH 761477, 50. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 GA 044048, 51. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 DT

025397, 52. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 RE 635669, 53. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 HB 546889, 54. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 QC 908225, 55. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 FG 041011, 56. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 EP 505435, 57. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 HV 403594, 58. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 WW 576134, 59. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 FB 229664, 60. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 WT 056291 । पेशशुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया, तत्पश्चात् श्री मनोज कुमार कानि. 179 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी ट्रेप बाक्स से निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. 179 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री फरियाद की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञान सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर से लिवाई गई तो, उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 30,000/- (तीस हजार) रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. 179 से परिवादी की पहनी हुई कुर्ता की बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सर्किट हाउस के कमरे में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कमरे के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर मनोज कुमार कानि. 179 के माध्यम से सर्किट हाउस के कमरे में रखी अलमारी में रखवाया गया । इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालात में कार्य कर रहा है व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 32 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी में पूर्व से कोई रिकॉडिंग वार्ता नही है। श्री मनोज कुमार कानि. 179 को बाद हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में ही छोडा गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर रसायनिक प्रतिक्रिया पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.30 पी.एम पर परिवादी श्री फरियाद सहपरिवादी श्री मुस्तफा व आमीर एव श्री ब्रह्मदेव कानि.449 व स्वतंत्र गवाह श्री जीतेन्द्र कुमार, सहायक प्रषासनिक अधिकारी, को परिवादी व सहपरिवादियो की प्राईवेट वाहन व श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71, श्री योगेष सिह कानि. 88 व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को प्राईवेट वाहन से पहाडी जिला डीग वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञान सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन मय श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 मय सरकारी लेपटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, विभागीय विडियों कैमरा, एवं ट्रेप बॉक्स इत्यादि के पहाडी जिला डीग वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय 05.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी व सहपरिवादियो के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय पंचायत समिति पहाडी के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी व सहपरिवादियो को आरोपी से मिलने के लिये रवाना किया जाकर परिवादी व सहपरिवादियो के हमराह श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय पंचायत समिति पहाडी के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुकर्रर ईशारे का इंतजार किया। इसके बाद समय 05.50 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री फरियाद से नियत इशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के पंचायत समिति पहाडी जिला डीग के पास पहुंचा जहां परिवादी फरियाद व

सहपरिवादी श्री मुस्तफा व आमीर उपस्थित मिले परिवादी फरियाद से पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री फरियाद ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही प्रवीण कुमार पटवारी जी है जिन्होने मेरे से रिश्वत 30,000/- रूपये अपने बैंग में रखवा लिये इस पर पास खडे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीष प्रसाद उम्र 27 साल निवासी किशोरपुरा पुलिस थाना हरसोरा जिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग का होना बताया जिसे डिटेन किया जाकर यथास्थिति में रहने की हिदायत कर परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 30,000/- रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी प्रवीण कुमार पटवारी चुप हो गया चूंकि मौके पर आम रोड होने के कारण कार्यवाही किये जाने हेतु कोई सुरक्षित जगह आस-पास नही होने एवं मौके पर भीड-भाड इक्ठ्ठी होने के कारण आरोपी प्रवीण कुमार मय उसके बैग के गाडी स्वतंत्र गवाहान से उठवाया जाकर कार्यवाही हेतु पुलिस थाना पहाडी के लिए रवाना होकर पुलिस थाना पहाडी पहुंचा जहा परिवादी श्री फरियाद मे रिश्वत राशि 30,000/- रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री प्रवीण कुमार पटवारी ने बताया कि मैं पिछले करीब तीन साल से पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग में पटवारी के पद पर तैनात हूं। करीब 10-11 दिन पूर्व श्री फरियाद व आमीर, मुस्तफा बगैरा मेरे पास आये थे जिन्होंने अपने खेत की पैमाइस कराने का आवेदन तहसीलदार पहाडी से आदेश कराकर मुझे दिया था जो मैने अपने पास रख लिया था, मैने उनसे खर्चा-पानी की बात की थी दिनांक 26.05.2025 को फरियाद मेरे पास दुबारा अपने खेत की पैमाइस के बारे में बात की थी, जिस पर मैने उससे 40,000/- रूपये रिश्वत मांगी थी, फरियाद ने मुझसे 30,000/- रूपये लेने की कहा था, मैने 35,000/- रूपये की कहकर फरियाद को भेज दिया था, आज दिनांक 27.05.20205 को फरियाद, मुस्तफा, आमीर मेरे पास तहसील में आये थे जिन्होने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर मिलने के लिए कहा था जिस पर कुछ समय पष्चात् मैने फरियाद को उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर पंचायत समिति पहाडी के पास मिलने की कहकर मैं तहसील से मेरी मोटर साईकिल से पंचायत समिति पहाडी पहुंच गया जहा पर फरियाद, मुस्तफा, आमीर भी आ गये थे, फरियाद से मैने 30,000/- रूपये मेरे स्वंय के बैग में रखने की कहकर मैने 30,000/- रूपये रखवा लिये थे। यह 30,000/- -रूपये मैने फरियाद, मुस्तफा, आमीर बगैरा की जमीन की पैमाइस करने की एवज में रिश्वत के रूप में प्राप्त किये थे, उसी समय आप लोग आ गये। परिवादी से भी इस संबंध में पूछा गया तो आरोपी द्वारा बताई गई बातों को ही बताया श्री प्रवीण कुमार, पटवारी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत राशि 30,000/--रूपये मैने मेरे बैग फरियाद से रखवा लिये थे, इस पर बैग को स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञान सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से खुलवाया जाकर रिश्वत राशि को निकलवाया गया तो नोटों का विवरण निम्न प्रकार पाया गया है:- 01.एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 BW 088646 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 FS 909031, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 UB 433973, 04 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 KK 901179, 05. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 BT 267572, 06. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 GT 334959, 07. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 AN 927900, 08. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 AG 233470, 09. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 BK 814472, 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 KG 968305, 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 NV 721712, 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 HT 878432, 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 PW 421437, 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 BC 618057, 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 VU 020816, 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 VN 260831, 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 DL 533022, 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 LA 647628, 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 EC 312086, 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 HH 899854, 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 BR 367914, 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 WB 155872, 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6SH 970096, 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 VB 627424, 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 QH 177434, 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 AF 744619, 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 UB 158161, 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 EN 471865, 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 EN 998739, 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 RP 154598, 31. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 SD 118863, 32. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 AP 224667, 33. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 AU 035532, 34. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 FQ 220801, 35. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 WN 137977, 36. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 VV 707573, 37. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 UA 438673, 38. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 ES 565147, 39. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 RC 551015, 40. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 VB 588826, 41. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 WB 120906, 42. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 CS 338225, 43. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 BK 474858, 44. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 CU 466064, 45. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 NF 285749, 46. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 FP 585437, 47. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 LD 483507, 48. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 AC 358892, 49. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 RH 761477, 50. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 GA 044048, 51. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 DT 025397, 52. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 RE 635669, 53. एक नोट पॉच सौ रूपये का

1 HB 546889, 54. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 QC 908225, 55. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 FG 041011, 56. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 EP 505435, 57. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 HV 403594, 58. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 WW 576134, 59. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 FB 229664, 60. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 WT 056291। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट से स्वतन्त्र गवाहान से करवाई गई तो नोटो के नम्बर हुबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के बैग जिसमें रिश्वत राशि रखी गई थी रिश्वत राशि बरामदगी बैग पर एक गीला सफेद रूई का फोहा लिया जाकर उक्त बैग में जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई को गीला सफेद रूई के फोहा से रंगडकर ट्रेप बॉक्स में एक नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर समस्त हाजरीन को दिखाया तो सभी ने उक्त पानी का रंग रंगहीन होना बताया इस पर उक्त घोल में सफेद गीले रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर दो काचं की साफ शीषियों में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क R अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि प्राप्त कर रखवाने हेतु आरोपी द्वारा कार्य में लिये गये बैग जिस पर Safari लिखा हुआ है जो नीले कलर का है बैग में तीन पोकेट है जिनमें चैन लगी हुई है उक्त बैग को बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क D दिया गया, बैग में रखे सरकारी दस्तावेजात को बाहर निकाला जाकर एक थैली में रखा गया जिन्हे संबंधित अधिकारी को संभलाया गया। चूकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि- अपने हाथों द्वारा नही छुआ जाकर सीधा ही परिवादी श्री फरियाद से अपने बैग में रखवाई थी। अतः आरोपी प्रवीण कुमार, पटवारी के हाथो की धुलाई नही कराई गई। ट्रेप कार्यवाही में काम लिया गया डिस्पोजल गिलास को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक मे ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। आरोपी से परिवादी व सहपरिवादी की जमीन की पैमाइस किये जाने के प्रार्थना-पत्र के बारे में पूछा तो बताया कि उक्त प्रार्थना-पत्र पटवार भवन तहसील पहाडी में मेरे कमरे में हो सकता है इस पर आरोपी को मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी व सहपरिवादियो के पास में स्थित पटवार भवन पहुंचा जहा परिवादी व सहपरिवादियो के कार्य से संबंधित प्रार्थना-पत्र को तलाश किया दौराने तलाशी आरोपी श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि मेरे बैग में रखे कागजात में भी हो सकता है इस पर आरोपी प्रवीण कुमार पटवारी ने अपने बैग में रखे कागजातो में से चैक कर परिवादी व सह परिवादियो के कार्य से संबंधित प्रार्थना-पत्र निकाल कर पेश किया गया प्रार्थना-पत्र पर क्रमांक 30 दिनांक 16.05.2025 को तहसीलदार पहाडी जिला डीग द्वारा पटवार हल्का सोमका/ आईएलआर सेंशन को अग्रेशित किया हुआ है। उक्त प्रार्थना-पत्र की छायाप्रति कराई जाकर पृथक से जप्त किया जावेगा। मूल प्रार्थना-पत्र परिवादी व सहपरिवादियों के कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को सुपुर्द किया जावेगा, आरोपी के मोबाईल फोन को आरोपी से अनलॉक कराया जाकर, कॉल लॉक का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री फरियाद के मोबाईल नम्ब[redacted]से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर आज दिनांक 27.05.2025 को समय 05.35 पी.एम पर इनकमिंग कॉल जिसकी कॉल अवधि 26 सैकण्ड व समय 05.39 पी.एम पर आउटगोईंग कॉल जिसकी समय अवधि 15 सैकण्ड इसके अलावा दिनांक 19,20,21,22 व 26.05.2025 को भी आरोपी प्रवीण कुमार व परिवादी श्री फरियाद के मध्य इनकमिंग व आउटगोईंग कॉल आना पाया गया है। आरोपी प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 27 साल निवासी किशोरपुरा पुलिस थाना हरसोरा जिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग द्वारा परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादी मुस्तफा व आमीर की जमीन की पैमाइस करने की एवज मे रिश्वत राशि 40,000/-रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 35,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को 30,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आरोपी प्रवीण कुमार पटवारी, को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। कार्यवाही की विडियोग्राफी विभागीय विडियो कैमरा द्वारा जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा कराई गई। काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (45) लिखा हुआ है फर्द रिश्वत राशि बरामदगी व बैग धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 27 साल निवासी किशोरपुरा पुलिस थाना हरसोरा जिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग की वक्त रिश्वत राशि बरामदगी व बैग धुलाई की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा द्वारा करवाई गई थी, विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की तीन डीवीडीयों तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर मूल डीवीडी न्यायालय प्रति व मुल्जिम डीवीडी को सफेद कपडे की थैलियो में

अलग-अलग रखकर सील मोहर मार्क C अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये गये आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया डीवीडी की हैश वैल्यू निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई थी। फर्द डबिंग डीवीडी रिष्वत राषि बरामदगी व बैग धुलाई के धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी की पृथक मे तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 08.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादी मुस्तफा व आमीर की जमीन की पैमाइस का प्रार्थना-पत्र की मूल ही आरोपी श्री प्रवीण कुमार, पटवारी ने स्वंय के बैग में रखे रिकॉर्ड मे से निकाल कर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार पहाडी जिला डीग द्वारा जरिये क्रमांक 30 दिनांक 16.05.2025 द्वारा पटवारी हल्का सोमका/आई एल आर सेंशन को अग्रेशित किया हुआ है, आवेदन पत्र पर मुस्ताक, मुजेफर, आमीर, सकरूल, फैजल के हस्ताक्षर व मुस्तफा की अंगूठे निशानी हो रखी है, आवेदन पत्र पर तहसीलदार पहाडी जिला डीग की रबड मोहर व हस्ताक्षर हो रखे है। प्रार्थना-पत्र आरोपी प्रवीण कुमार, पटवारी के पास पेडिंग होना पाया गया । उक्त प्रार्थना-पत्र की छायाप्रति तैयार की जाकर कब्जा एसीबी ली गई, जिस पर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। मूल प्रार्थना-पत्र परिवादी, सहपरिवादी के पेंडिग कार्य को पूर्ण कराने हेतु परिवादी को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती नियमानुसार पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 09.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 27 साल निवासी किशोरपुरा पुलिस थाना हरसोरा जिला डीग हाल पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादी मुस्तफा व आमीर की जमीन की पैमाइस करने की एवज मे रिश्वत राशि 40,000/- रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 35,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 27.05.2025 को 30,000/- रूपये रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 60 ((साठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल मूल्य 30,000/- (तीस हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाह श्री ज्ञान सिह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन रेडमी एम.आई कम्पनी का जिसका लॉक पासवर्ड pjyoti है जिसमें एक जियो कम्पनी सिम जिसका मोबाईल नम्बर [redacted] है आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted] है चालू हालात में मिला जिसे फ्लाईट मोड पर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में 3500/- रूपये मिले जिनके बारे में आरोपी से पूछा तो घर खर्च के लिए घर से लाना बताया आरोपी का जवाब संतोषप्रद पाये जाने पर उक्त राशि को जामा तलाशी माल मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनकी पत्नी श्रीमति ज्योति को मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई। इसके बाद समय 09.10 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिकार्ड वार्ता जिसकी रिकॉर्डिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादियो श्री मुस्तफा व श्री आमीर एव स्वतंत्र गवाहान श्री ज्ञान सिह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री जीतेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी व सहपरिवादियो से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी न्यायालय हेतु व दो डीवीयां क्रमशः- एक मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डब डी.वी.डी पर मार्क B अंकित किया, रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी. को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर आरोपी का कोई सहकर्मी उपस्थित नही होने के कारण रिश्वत लेन-देन व मांग सत्यापन के समय आरोपी की रिकॉर्ड आवाज की पहचान सहकर्मी से कराया जाना संभव नही होने के कारण पहचान नही कराई जा सकी। इसके बाद समय 10.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री फरियाद पुत्र श्री पुत्र श्री जसमल जाति मुसलमान उम्र 57 साल निवासी सोमका पुलिस थाना पहाडी जिला डीग व सहपरिवादी श्री मुस्तफा व आमीर के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (45) लिखा हुआ है, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व सहपरिवादियों की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री ज्ञान सिह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर को सुपुर्द की गई एवं आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द करने नष्ट

नमूना मील पीतल पृथक से तैयार कीं जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व सहपरिवादियों को रूखस्त किया गया। रात्रि का व्यक्त होने के कारण ब्यूरो मुख्यालय के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार नही किया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जावेगा। इसके बाद समय 10.35 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि071 मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय प्राईवेट चालक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रवीण कुमार पटवारी के वास्ते बन्द हवालात कराये जाने हेतु पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर तहरीर दी जाकर रवाना किया गया मुनासिब हिदायत की गई। तत्पश्चात् 10.40 पी.एम पर परिवादी व सहपरिवादियो को मौके से बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि 30,000/- रूपये, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन व 3500/- रूपये मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के बाद कार्यवाही मौके से सर्किट हाउस भरतपुर के लिए रवाना हुआ इसके बाद दिनांक 28.05.2025 समय 12.00 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि 30,000/- रूपये, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन व 3500/- रूपये मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचा, सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि 30,000/- रूपये जामा तलाशी मे मिले मोबाईल फोन व 3500/- रूपये, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, विभागीय विडियों कैमरा आदि को आरक्षित कमरा नम्बर 110 की अलमारी में रात्रि का वक्त हो जाने के कारण सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 12.15 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय प्राईवेट चालक फिकरावाला का रवाना शुदा वापस सर्किट हाउस भरतपुर आया दर्ज कराया कि पुलिस थाना पहाडी जिला डीग मे रवाना होकर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी प्रवीण कुमार पटवारी को बन्द हवालात कराया जाकर रिपोर्ट पहरा सन्तरी किया पुलिस थाना मथुरा गेट से रवाना होकर सर्किट हाउस भरतपुर आया पुलिस थाना मथुरा गेट का रोजनामचाआम बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 27 साल निवासी किशोरपुरा पुलिस थाना हरसोरा जिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग द्वारा परिवादी श्री फरियाद व सहपरिवादी मुस्तफा व आमीर की जमीन की पैमाइस करने की एवज मे रिश्वत राशि 40,000/- रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 35,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 27.05.205 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 60 (साठ) नोट कुल कीमत 30,000/- (तीस हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री प्रवीण कुमार, पटवारी के विरूध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई । (सुरेन्द्र सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,धौलपुर......................कार्यवाही पुलिस................ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह ,पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 27 साल निवासी किशोरपुरा पुलिस थाना हरसोरा जिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का सोमका तहसील पहाडी जिला डीग के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 521 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 764-67 दिनांक 28.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. जिला कलक्टर, डीग। 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/05/2025 19.

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/07/1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)